



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक:- पं. 03(04-A)RSSB/स्टोर/कार्यालय स्टेशनरी/2025-26/261-

जयपुर, दिनांक:- 10/7/2025

खुली निविदा सूचना (2025-26/07)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं कार्यालय के उपरोग हेतु सामान्य/कम्प्यूटर स्टेशनरी के क्रय के लिए वार्षिक अनुबंध दर संविदा हेतु अनुमानित लागत राशि रुपये 9.00 लाख की पंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता फर्मों से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबन्ध निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ) आमंत्रित की जाती है। इस सम्मग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

सचिव

क्रमांक:- पं. 03(04-A)RSSB/स्टोर/कार्यालय स्टेशनरी/2025-26/262-265

जयपुर, दिनांक:- 10/7/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा सूचना की दस प्रतियां एवं सी.डी. में सलंगन कर भिजवाई जा रही है इसको नियमानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. नोडल अधिकारी, बोर्ड SPPP को भेजकर लेख है कि <http://sppp.raj.nic.in> वेबसाइट पर अपलोड करावें
4. कैशियर/प्राप्ति लिपिक/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

सचिव

NIB-SMB2526A0017

UBN-SMB2526GSOB00017

Signature valid



Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.09 18:35:27 IST
Reason: Approved

Address : State Institute of Agriculture Management premises, Durgapura, Jaipur - 302018.



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

निविदा प्रपत्र नं. : खुली निविदा सूचना (2025-26/07)
निविदा की अनुमानित राशि : 09 लाख
निविदा प्रपत्र का मूल्य : 500 /-
बोली प्रतिभूति राशि : 18,000 /-

बिड प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : 10/07/2025
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि : 16/07/2025
अपरान्ह : 1.00 बजे तक
बिड खोलने की तिथि : 16/07/2025
अपरान्ह : 03.00 बजे

तकनीकी निविदा

Rate Contract of General /Computer Stationary and other Office/Examination Use Items के लिये

1.	निविदा सूचना संख्या :	2625-26/07 Date 10/07/2025
2.	कार्य का नाम	Rate Contract of General /Computer Stationary and other Office/Examination Use Items के लिये निविदा
3.	1. फर्म का नाम : एवं डाक का पता : बैंक खाता संख्या : बैंक का नाम : शाखा का नाम : IFSC Code : 2. दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं ईमेल : 3. किसको संबोधित की गई : सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर 4. जी एस टी नंबर : 5. पैन नंबर : 6. उद्योग आधार क्रमांक/MSME Certificate No. (यदि हो तो) : 7. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक :	
4.	निविदा की अनुमानित राशि	9.00 लाख
5.	शुल्क का विवरण	ई-ग्रास चालान नम्बर एवं दिनांक
	निविदा शुल्क राशि रुपये 500 /-	
	अमानत राशि रुपये 18000 /-	
6.	टर्न ऑवर (विगत तीन वर्षों में औसत टर्न ओवर राशि 4.50 लाख) (निविदा शर्तों की शर्त संख्या 10 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 राशि..... वित्तीय वर्ष 2023-2024 राशि..... वित्तीय वर्ष 2024-2025 राशि.....
7.	पूर्व में कार्य सम्पादन के अनुभव का विवरण (विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में 4.50 लाख) निविदा शर्तों की शर्त संख्या 11 के अनुसार))	वित्तीय वर्ष 2022-2023 राशि..... वित्तीय वर्ष 2023-2024 राशि..... वित्तीय वर्ष 2024-2025 राशि.....

हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2025-26/.....दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

Signature valid

निविदादाता के हस्ताक्षर
Digitally signed by Badhamay Singh
Badhamay Singh
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved





राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा शर्तें

****टिप्पणी :-** निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग – अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे **Rate Contract of General /Computer Stationary and other Office/Examination Use Items** के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा। यदि वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग ना रखकर तकनीकी निविदा के लिफाफे में वित्तीय निविदा रखी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य कर निरस्त कर दी जावेगी।

1. "वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदायें" :- निविदायें Services (सेवाओं) के पंजीकृत अनुभवी फर्मों/राजकीय कार्यालयों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे अंत में उल्लेखित विवरणानुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
2. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वी कृती के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. **GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन:-** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।
7. **विधि मान्यता**—निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होंगी।
8. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि समस्त प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होगी।

Digitally signed by Bhas Chand Badhal
Reason: Approved
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

- विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
9. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा। यदि निविदादाता द्वारा ऐसा किया जाना पाया जाता है तो उस निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 10. फर्म का विगत तीन वर्षों में औसत टर्न ओवर 4.50 लाख से कम न हो की छायाप्रति, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
 11. निविदादाता/फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में इस कार्य का 4.50 लाख का अनुभव प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (अनुभव प्रमाण अथवा कार्यदेश की स्थिति में कार्य पूर्णता पत्र छायाप्रति संलग्न करें।)
 12. निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
 13. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
 14. बिड शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का ई-ग्रास कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न (ITR) की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
 15. निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
 16. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
17. विनिर्देश :-

- i. (क) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- ii. निविदा में अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्या वे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की हैं, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।
- iii. **वारंटी/गारंटी खण्ड:-** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि एक माह की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाये, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- iv. मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड में उल्लिखित किये गये अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हों, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि किसी भी मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में न मिले।

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chandak
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

- v. क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाये, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

18. निरीक्षण :-

- i. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
 - ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुये हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
19. नमूने :-वित्तीय निविदा में अंकित सभी वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिये तथा आर/आर या जी.जार. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। सामग्री के नमूने नियमानुसार निर्धारित नोर्मस के प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिये।
20. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेंगे।
21. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट, हानि के लिये सरकार/बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जायेगा। सरकार/बोर्ड किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार/बोर्ड द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समपहृत किया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
23. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा, उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।
24. नमूने निकालना :-परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटों में नमूने लिये जायेंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जायेगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जायेगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जायेगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये सुरक्षित रखा जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Bhaag Chand
Bhaag Chand

Designation: Secretary

Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

Reason: Approved

25. **परीक्षण प्रभार :-** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
26. **रद्द करना :-**
- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जायेंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
 - तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
27. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 07 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।
28. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
30. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
31. (1) **सुपुर्दगी अवधि :** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये, सचिव, बोर्ड द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:-

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
---------	----	--------	----------------

(2) **परिमाण (Quantity) में परिवर्तन का अधिकार :-**

- यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्टपरिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।
- अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :-
 - संकर्मों (Works) की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
 - मूल संविदा के माल (Goods) या सेवाओं (services) के मूल्य का 50 प्रतिशत।
- यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति कलेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

32. बोली प्रतिभूति राशि :

1. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।
2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
3. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
4. बोली प्रतिभूति ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
5. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।
6. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्टि करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।
7. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।
8. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
9. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :
 - i. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
 - ii. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
 - iii. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
 - iv. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है:
 - v. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
10. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
11. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात्:-
 - a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,

Signature Valid
Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

- b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर ,
- c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
- d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

33. (1) **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :-**

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:
 - i. "ई-ग्रास(egras)के माध्यम से जमा"
 - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
 - v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्याताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

- a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- c. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

34. (1) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(2) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजा जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Bhaish Chandra Badhal
Designation: Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

(3) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

35. बीमा :-

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिये।

36. भुगतान :-

1. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर विवाद निपटान अनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

37. (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) **परिसमापित नुकसानी (Liquidated damages)**:-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2½%

एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5%

आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये 7½%

विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10%

1. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

2. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

3. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह निविदादाता के प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन पत्र के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की तिथि के बाद करेगा।

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

4. यदि माल की सख्ताई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

38. **वसूतियां :** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सलायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

39. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लार्डसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।

40. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को सक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूत्र में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

41. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सत्यापन से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

42. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा:-

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवस एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
43. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
44. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
45. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
46. बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
47. निविदा की शर्तों एवं RTAP Act 2012 एवं Rules 2013 में कही विरोधाभास की स्थिति होने पर RTAP Act 2012 एवं Rules 2013 ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
48. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
49. नैनं सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

47. निविदा की शर्तों एवं RTAP Act 2012 एवं Rules 2013 में कही विरोधाभास की स्थिति होने पर RTAP Act 2012 एवं Rules 2013 ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

48. सलनक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।

49. मैंने सभी शक्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शक्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

Signatureविधिबान्ता के हस्ताक्षर

मय सील

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal

Designation : ~~Secretary~~

Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

Reason: Approved

ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया

- अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित सुरक्षा सेवा के सामने दर्शायी गयी अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
 - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-[01] के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
 - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
 - Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
 - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
 - Department (Rajasthan Sub-ordinate & Ministerial Service Selector Board हेतु विभागीय कोड 223 एवं ऑफिस Rajasthan Staff Selection Board आई.डी.-32297) का चयन करें।
 - चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
 - Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
- निविदा शुल्क/अमानत राशि/टैक्स प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में भूतक बचल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज ही मान्य होंगे। ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141-4022688, 0120-4711-508, 0120-4001-002 पर सम्पर्क करें।

निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि जमा कराने की प्रक्रिया	- निविदा प्रपत्र शुल्क - 0075-00-800-(52)-[01] - अमानत राशि/प्रतिभूति जमा - 8443-00-103-00-00 विभागीय कोड - 223 ऑफिस आई.डी. - 32297 कार्यालय - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर लोकेशन - जयपुर
---	--

हस्ताक्षर निविदादाता
Signature valid मय सील

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion , Bid rigging or anti-
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand

Badhal

Designation : Secretary

Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

Reason: Approved

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of.....

In response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The Chairman RSSB, Jaipur
The designation and address of the Second Appellate Authority is The Principal Secretary/Secretary to Govt. DOP, Jaipur.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an affidavit against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No.of.....

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant Proposes to be representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i.if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii.if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii.if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2.Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i)At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the

Signature valid
Digitally signed by Badhal
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरण के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम बONAFAईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेर/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
सील

निविदादाता का नाम :-

पूर्ण पता :-

टेलिफोन नं.:

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जायेशपथ/घोषणा-पत्र

मैं/हमपुत्र श्री.....निवासी

.....जो कि मैसर्स.....फर्म का
पता.....की ओर से शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि

1. यह कि उक्त फर्म/कम्पनी जिसका PAN NO..... GST NO..... है।
2. यह कि मैं इस फर्म/कम्पनी का मालिक/स्वामी/साझेदार/पद पर यह शपथपत्र प्रस्तुत करने को अधिकृत व्यक्ति हूँ।
3. यह है कि मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, हमने जहां कहीं भी General /Computer Stationary आपूर्ति/नियोजित किये हैं, उस आपूर्ति/नियोजित में विगत 3 वर्षों में संतोषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा डिबार/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. यह कि मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/सेवा प्रदायगी में क्मनिसजमत का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
5. यह है कि मेरा कोई भी परिजन इस निविदा के निर्णय से संबंधित किसी भी पद अधिकारी/कार्मिक तथा कार्यादेश देने वाले अधिकारी/कार्मिक/लोकसेवक पद पर कार्यरत नहीं है।
6. यह है कि उक्त तथ्यों कि सत्यता के लिये यह शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ/करते हैं कि उक्त अनुच्छेद सं. 1 से 6 तक में की गई घोषणा मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है तथा इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

फर्म का नाम :

(कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)

सचिव,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
दुर्गापुरा, जयपुर

वित्तीय निविदा प्रपत्र

Rate Contract of General /Computer Stationary and other Office/Examination Use Items के लिये
निविदा

निविदा सूचना संख्या के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र.स	सामग्री का नाम	दरें (Inclusive of All taxes & GST) (राशि रु. में)		विशेष विवरण (ब्राण्ड)/मॉडल का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले ब्रांड/मॉडल का नाम अंकित करें।
		अंकों में	शब्दोंमें		
General Stationery Items					
1.	Photo Copy Paper (A4), 75 GSM (500 sheets)			Jk, Century, Satia	
2.	Photo Copy Paper Colour (A4), 75 GSM (500 sheets)			Jk, Century, Satia	
3.	Photo Copy Paper (Fs), 75 GSM (500 sheets)			Jk, Century, Satia	
4.	Photo Copy Paper Colour(Fs), 75 GSM (500 sheets)			Jk, Century, Satia	
5.	Photo Copy Paper (A3) 75 GSM (500 sheets)			Jk, Century, Satia	
6.	Pokar /borer with steel handle			Superior Quality	
7.	A4 size envelope laminated			Superior Quality	
8.	A4-Plastic Folder Single side Transprent with board name and logo printed			Superior Quality	
9.	Adhesive slip pad (75mmx100mm)			Neelgagan/ S.fine अथवा इसके अनुरूप	
10.	Quataz Golden Ring Plastic wall Clock No. 497			Ajanta, Timex, Digitally signed by Bhag Cha Badhal	

Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

11.	All pin pkt.			Zen, Zebra	
12.	Mosquito Liquid Vapories Repeleant Machine			Allout, Mortine Max	
13.	Mosquito Liquid Vapories Repeleant Reffile (30 Days)			Allout, Mortine Max	
14.	Allpin cusion (Magnetic)			Superior Quality	
15.	Attendance Register big for Staff 100 page			Sagar, Rastogi, Vishal	
16.	Bag For Laptop			HP, Dell, American Tourist	
17.	pen MRP 10/-			Flair, Montex, Cello	
18.	pen MRP 20/-			Flair, Montex, Cello	
19.	pen Mrp. 5/-			Flair, Montex, Cello	
20.	Bill Register 240pg.			Sagar, Rastogi , Ashoka	
21.	BINDER CLIP 19 MM			Realone, Infinity, Saya	
22.	Binder Clip 25mm			Realone, Infinity, Saya	
23.	Binder Clip 41mm			Realone, Infinity, Saya	
24.	Calculater 12digits (Casio MJ 120)			Casio, Citzen, Orpat,	
25.	CASH CHALLAN REGISTER			Rastogi, Sagar, Vishal	
26.	Cashbook Big (Govt.) 200pg.			Sagar, Rastogi, Vishal	
27.	Cashbook Small (Govt.) 200pg			Sagar, Rastogi, Vishal	
28.	CD Marker Pen			Sagar, Rastogi, Vishal	

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation : Secretary
 Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
 Reason: Approved

29.	Cell for Calculator 12digits			Casio, Orpat, Citizen	
30.	Cell for Remote Bell (GP ULTRA) 23AE 12V			Superior Quality	
31.	White/Brown Tape 1"			Wonder, Cello, Scotch	
32.	White/Brown half inch			Wonder, Cello, Scotch	
33.	White/Brown Tape 2"			Wonder, Cello, Scotch	
34.	CHALLAN REGISTER			Rastogi, Sagar, Vishal	
35.	Clip Board Transparent			Superior Quality	
36.	Clock Cell			Novino, Panasonic, Eveready	
37.	Glass and Surface Cleaner 200 ML			Collin, Hygienzz, IHP	
38.	Confrence Pad 40page			Neelgagan, अथवा इसके अनुरूप	
39.	Consumable Stock Register 320 page			Rastogi, Sagar	
40.	Correcting whitener Pen			Kores, Kaya, Camlin	
41.	Cutter big 18mm blade			TRIO, Natraj, Max	
42.	D.D. REGISTER			Superior Quality	
43.	Dak Pad			Superior Quality	
44.	Hand Wash Liquid 200ml.			Dettol, Lifebuoy, Savlon	
45.	Hand wash Soap (Small)			Dettol, Lifebuoy, Savlon	
46.	Dr. Pad Slip			Signature valid Superior Quality	

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved

47.	Electrical Ext. Board with five metre Cable (Six pin Socket)			Klick, Anchor, Ibell	
48.	Electrical kettle 1 litre			Usha, Havells, Prestige	
49.	ENCASHMENT REGISTER			Rastogi, Sagar, Superior Quality vishal	
50.	Envelope 11x5 with Matter printed			Superior Quality	
51.	Envelope 9x4 with matter Printed			Superior Quality	
52.	Envelope size 12x6			Superior Quality	
53.	Envelope size 9x4			Superior Quality	
54.	Eraser			Apsara, Doms, Nataraj	
55.	Fevicol Tube 50gm			Euro, Fevicol, MR	
56.	Feviquick MRP-5/-			Pedilite, Feviquick, Kores,	
57.	Fevistick 15gm			Kores, Pedilite, Feviquick,	
58.	File Cover soft laminated with printed board name and logo			Superior Quality	
59.	File lace (per Bundle 100 lace) 924 No.Green			Superior Quality	
60.	File Pad file size (32 onus)			Superior Quality	
61.	File Size Envelope laminated			Superior Quality	
62.	File size Envelope(12x16)			Superior Quality	
63.	File Tag (per bundle 100 Tag)			Superior Quality	
64.	Flag pad 3x3			Superior Quality	

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation : Secretary
 Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
 Reason: Approved

65.	Foot mate (joot size 4'x2')			Superior Quality	
66.	Full plate 110 R.C.			Superior Quality	
67.	Gum bottle 150ml			Camel अथवा इसके अनुरूप	
68.	HARD BOARD LONG REGISTER			Superior Quality	
69.	Highlighter All Color			Luxer, Camlin, Cello	
70.	HIT (Black) 320ml.			HIT, Mortin, Godrej	
71.	index file normal No. L-549			Superior Quality	
72.	Index File plastic No. L-549			Superior Quality	
73.	LEATHER BAG OFFICER			Superior Quality	
74.	Legal Diary			Superior Quality	
75.	Letter Despatch Register 240pg.			Sagar, Rastogi, Vishal	
76.	Letter Receipt Register 240 page			Sagar, Rastogi, Vishal	
77.	Paper cutter (Medium)			TRIO, Natraj, Max	
78.	Name plate(12"x4")			Superior Quality	
79.	Nepkin Towel			Superior Quality	
80.	Note Pad No.-08, 80pg.			Neelgagan अथवा इसके अनुरूप	
81.	Official Dairy			Superior Quality	
82.	Packthread (hemp) (सूतली)			Superior Quality	
83.	Paper Stand				

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand

Badhal, Boss, Bareilove,

Designation - Secretary

Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

Reason: Approved

				Acrylic	
84.	Paper waight Plastic (Arcylic)			Dolphin, Kebica, Crazygol	
85.	Pen stand (Tumbler)			LRS, Oddy, KBI	
86.	Pen stand, Big with Holder pen			Superior Quality	
87.	Pencil			Apsara, Natraj, Doms	
88.	Peon Dairy 240 page			Rastogi, Sagar, Rainbow	
89.	Permanant Stock Register 320page			Rastogi, Sagar, Vishal	
90.	Permanent Marker Bold			Camlin, Luxar, Artline	
91.	PERMANENT PAINT MARKER			Camlin, Doms, Luxar	
92.	Pilot Pen v5 shine			Pilot	
93.	Pilot Pen v5 shine (REFILL/ CARTRIDGE)			Pilot	
94.	Pilot Pen v7 shine			Pilot	
95.	Pilot Pen v7 shine (REFILL/ CARTRIDGE)			Pilot	
96.	Plastic Bucket 20litre			Cello Milton	
97.	Plastic Button Folder			Superior Quality	
98.	Plastic desktop dusbin (big) 50 litre			Cello Neelkamal Kuber	
99.	Plastic desktop dustbin (Medium)			Cello Neelkamal Kuber	
100.	Plastic Folder Double side Transparent with board Name and Logo Printed (FS Size)			Infinity. Solo, Generic	
101.	Plastic ID Card Cover with Strip			Superior Quality	
102.	Plastic Scale (30CM) 12"			Camlin Apsara, Doms	

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation: Secretary
 Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
 Reason: Approved

103.	Plastic Self Adhesive Hooks			Anchor/S.fine	
104.	Plastic Water Bottel (1 Ltr.)			Cello, Millton, 2 Mech	
105.	poker big with steal handle			Superior Quality	
106.	Posts Stamp Register			Superior Quality	
107.	punching machin No. 800			Kangaro	
108.	Punching Machine No 600			Kangaro	
109.	Punching Machine No. 52			Kangaro	
110.	Punching Machine Single			Kangaro	
111.	PVC ID Card (8.5cm X 5.5cm)			Superior Quality	
112.	Quater plate			Superior Quality	
113.	Register (Lined) 120 page, Hard Board			Classic, Vishal, Rastogi	
114.	Register (Lined) 180page, Hard Board			Classic, Vishal, Rastogi	
115.	Register (Lined) 240 page, Hard Board			Classic, Vishal, Rastogi	
116.	Remote Bell			Anchor, Baoji, Ronfild	
117.	Reynold Trimax Gold pen			Reynold	
118.	REYNOLDS JETTER PEN			Reynold	
119.	Room Freshner (125gm)			Godrej Odonil, Aer	
120.	ROUND STAMP SEAL			Superior Quality	
121.	Rubber Band (Per pkt- 400gm) Big Size			Superior Quality	
122.	Rubber Band (Per pkt- 400gm) Small Size			Signature valid	
123.	Rubber Stamp seal (Per line)			Digitally signed by Bhag Chand Badhal Designation : Secretary Date: 2025.07.10 12:54:37 IST Reason: Approved	

124.	Scissor 8"			Gem, Scotch, Alvi	
125.	Self inked Seal (Per line)			Superior Quality	
126.	Service Tray (Medium)			Superior Quality	
127.	Sharpner			Apsara, Doms, Nataraj	
128.	Shorthand pencil			Apsara, Doms, Nataraj	
129.	Slip pad 9"x 6" (80 page)			Neelgagan, Kea Saya, Solo	
130.	Spiral pad No. 66 40page			Neelgagan, Kea Saya, Solo	
131.	Spiral Pad No. 67, 100 Page			Neelgagan, Kea Saya, Solo	
132.	Stamp Pad Faber Castell 88*54mm			Camlin, Ashoka	
133.	Stamp Pad ink 100ml 100Mk			Camlin, Ashoka	
134.	Stapler Pin No. 10			Kangaroo, Kores	
135.	Stepler No. 10			Kangaroo, Kores	
136.	Stepler No. 24x6			Kangaroo, Kores	
137.	Stepler Pin No. 24x6			Kangaroo, Kores	
138.	Table glass Superior (per Feet Sq)			Superior Quality	
139.	TABLE TOP			Superior and Good Quality	
140.	Tea Coaster			Superior Quality	
141.	Tea Cup set with socior (per set 6 piece)			Superior Quality	
142.	Thurmos flask (1 Ltr./ 0.5 Ltr.)			Milton, Cello,	
143.	TISSUE PAPER NORMAL			Superior Quality	
144.	TISSUE PAPER WET			Superior Quality	

Signature of

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation : Secretary
 Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
 Reason: Approved

145.	Total Security Antivirus (3 years warranty +03 User)			Quick Heal, McAfree, NPAV	
146.	Towel for Officer chair			Superior Quality	
147.	Treasury Transit Register 240pg.			Sagar, Rastogi, Ashoka	
148.	UNIBALL GEL IMPACT PEN			UNIBALL	
149.	UNIBALL GEL IMPACT PEN REFILL			UNIBALL	
150.	Uniball i-micro pen all color			Uniball	
151.	U-Pin pkt. (Plastic Coated)			Zen, AMCEE	
152.	USB 3.0 A to B Printer Cable (1.5 meter) in Copper			Technxt, S.fine	
153.	V SINO PEN			V SINO PEN	
154.	Vim bar Small			Vim bar, Jhalak, Ghadi	
155.	Washing Powder 100 gm pouch			Rin, Jhalak, Wheel	
156.	Water Glass for staff (Rs.20)			Superior Quality	
157.	Water Glass set (Per Set 6 piece) for officers			Borosil, Vision, Ocean San	
158.	Water jug (2 litre)			Superior Quality	
159.	Water Pad			Superior Quality	
160.	WHITE BOARD			Superior Quality	
161.	WHITE BOARD DUSTER			Superior Quality	
162.	WHITE BOARD MARKER 80 GSM Paper Hard Bind Cover			Superior Quality	
163.	Duster Cloth 24X24			Superior Quality	
Computer Stationery Items					
164.	Computer Mouse			HP, Dell, TVS	

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
 Designation : Secretary
 Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
 Reason: Approved

165.	Computer Mouse Wireless			HP, Dell, TVS	
166.	Canon MF 3010 Laser Jet Carriage			Canon	
167.	CD Case Box Transparent			Sony, HP, Writex	
168.	CD cover (plastic) Superior			Superior अथवा इसके अनुरूप	
169.	HP AC power Adapter for Laptop			HP	
170.	HP AC power Adapter for Scanner			HP	
171.	Hp Laser Jet Pro M203dw Toner			HP	
172.	Hp Laserjet 1536 dnf MFP Carriage			HP	
173.	Hp Laserjet M202dw Toner			HP	
174.	HP M 226dn Carriage			Hp	
175.	HP M-604 (CF281A)Toner			HP	
176.	Kyocera TA-4501i (Photocopier) (TK 6309) Toner			Kyocera	
177.	CD-R, 700MB-100pc			Sony, HP, Writex	
178.	CD-RW, 700MB-100pc			Sony, HP, Writex	
179.	Compact Disk Containers-Plastic Box			Superior	
180.	Pen Drive 128GB			Kingston/ Kingston, Sony, San Disk	
181.	Pen Drive 16GB			Kingston, Kingston, Sony, San Disk	
182.	Pen Drive 32GB			Kingston, Kingston, Sony, San Disk	
183.	Pen Drive 64GB			Kingston, Kingston, Sony, San Disk	
184.	Pen Drive 8GB			Kingston, Kingston, Sony, San Disk	
185.	Hard disk 2 TB			WD, Toshiba, Sata	
186.	HARD DISK 4 TB				

Signature valid

WD, Toshiba,
Sata

Digitally signed by Bhag Chand

Badhal WD, Toshiba,

Designation : Secretary

Date: 2025.07.10 12:54:37 IST

Reason: Approved

				Sata	
187.	DVD-R, 4.7GB-100 pc			Sony, HP, Writex	
188.	DVD-RW, 4.7GB-100 pc			Sony, HP, Writex	
189.	Key Board			HP, Dell, TVS	
190.	Key Board Wirless			HP, Dell, TVS	
191.	Ricoh SP310dn Carriage			Ricoh	
192.	Hard Disk Case			WD , Toshiba, Sata	

नोट:-

- निविदा में जिस सामग्री का ब्रॉण्ड एवं मॉडल दिया गया है, की ही दरें प्रस्तुत करनी होंगी। इसके अतिरिक्त में मॉडल/ब्रॉण्ड का नाम अंकित करते हुए नमूने पेश करने होंगे।
- बोर्ड समिति के मांगने पर निविदा में अंकित ब्रॉण्ड एवं मॉडल वाली सामग्री के नमूने भी प्रस्तुत करने होंगे।
- जिस सामग्री का नमूना स्वयं निविदादाता द्वारा अंकित किया गया है, उसका नमूना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- सामग्री की दरें/मॉडल/ब्रॉण्ड के नाम में **Over writing** नहीं करें।
- दरें/मॉडल/ब्रॉण्ड के नाम स्पष्ट/पठनीय शब्दों में प्रस्तुत करने का श्रम करें।
- यदि किसी सामग्री की अनुमोदित दर नहीं है तो उसका भुगतान न्यूनतम बाजार दर पर किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.07.10 12:54:37 IST
Reason: Approved